संख्या-43/2016/2220/33-3-2016-306/2014

प्रेषक,

एस0पी0सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज,अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2016**

विषयः- पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) को क्रियाशील करने हेतु वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3/20/2016-3/4/2016 दिनांक 22.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) को क्रियाशील करने हेतु वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय व्यवस्था का प्राविधान किए जाने हेतु अनावर्ती अनुमानित व्यय रू. 4700000/-(सैंतालिस लाख मात्र) की मांग के औचित्य के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु मात्राकृत 0.15 प्रतिशत धनराशि रू. 6.1060 करोड़ मे से अवशेष धनराशि रू. 3.606 करोड़ के सापेक्ष अनावर्ती अनुमानित व्यय रू. 2700000/-(सत्ताइस लाख मात्र) को पी0एल0ए0 से आहरित कर व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। रू0 20.00 लाख वाहन क्रय की मांग के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए अवगत कराया जायेगा।

3- यह धनराशि उसी प्रयोजन पर व्यय की जायेगी जिस हेतु इसकी मांग की गयी है। उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन पर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांकः: उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in